न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	**निधि बेनीवाल, आर.जे.एस.**
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या	:	294/2016
सी.आई.एस. संख्या	:	194/2016
सी.एन.आर. संख्या	:	RJCH130003812016
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	61/2016
पुलिस थाना	:	सरदारशहर

(10 वर्ष पुराना प्रकरण)

राजस्थान राज्य

-- अभियोगी

बनाम

पप्पुराम पुत्र गोरधनराम, निवासी बेजासर, पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

-- अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता

उपस्थितः-

1. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री संदीप भोजक व सुश्री अंतिमा जाडीवाल, विद्वान अधिवक्तागण, अभियुक्त की ओर से।

अपराध की दिनांक	07.02.2016
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	08.02.2016
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की दिनांक	04.04.2016
आरोप विरचित किए जाने की दिनांक	04.04.2016
साक्ष्य आरंभ करने की दिनांक	10.04.2019
अभियुक्त की परीक्षा अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध करने की दिनांक	19.03.2026

- निर्णय - **दिनांकः 23 मार्च, 2026**

1. अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि, दिनांक 08.02.2016 को परिवादी कमल कुमार ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना सरदारशरहर में इस आशय की पेश की कि, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से एक दिन पूर्व समय करीब 02.30 पी.एम. पर जब परिवादी कमल कुमार व उसकी बुआ का लड़का जयप्रकाश, मुख्य बाजार कस्बा सरदारशहर में गिरधारी की दुकान पर उनके परिवार के लक्ष्मीनारायण व जानकार नोरतन सोनी के पास खड़े बात कर रहे थे तथा

Authenticated Docuement

जयप्रकाश अपनी मोटरसाईकिल पर बैठा बात कर रहा था। तभी अचानक घण्टा घर की तरफ से एक काले कलर की मोटरसाईकिल संख्या आरजे07 एसवी 7249 पर तीन लड़के अत्यधिक तेजगति से मोटरसाईकिल लेकर आये और मोटरसाईकिल चालक ने लापरवाहीपूर्वक शराब के नशे में जयप्रकाश के जोर से टक्कर मार दी, जिससे जयप्रकाश नीचे गिर गया व दोनों मोटरसाईकिल टूट गयी। टक्कर से जयप्रकाश का दाहिना पैर कई जगह से टूट गया और चेहरे पर दाहिनी तरफ खून आ गया। जयप्रकाश को मौके पर मौजूद परिवादी, लक्ष्मीनारायण व नौरतन अस्पताल लेकर गये, इत्यादि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सरदारशहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 61/2016 दर्ज की जाकर बाद सम्पूर्ण अनुसंधान अभियुक्त पप्पुराम के विरुद्ध आरोप अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता में प्रमाणित मानकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस चार्ज सुनकर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उपरोक्त धाराओं का आरोप सारांश मौखिक रूप से अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहान को परीक्षित करवाया हैः-

क्र.सं.	**गवाह का नाम**	**गवाह संख्या**	**साक्ष्य की प्रकृति**
1.	कमल कुमार सोनी	पी.डब्ल्यू.-1	परिवादी/चक्षुदर्शी
2.	जयप्रकाश	पी.डब्ल्यू.-2	आहत/चक्षुदर्शी
3.	नानूराम	पी.डब्ल्यू.-3	धारा 133 मोटर यान अधिनियम के नोटिस बाबत् व चक्षुदर्शी साक्षी
4.	डॉ. राजेश गुप्ता	पी.डब्ल्यू.-4	चिकित्सीय साक्षी
5.	किशोर सिंह	पी.डब्ल्यू.-5	जब्तशुदा वाहन के मैकेनिकल मुआयना बाबत्
6.	ओमप्रकाश	पी.डब्ल्यू.-6	चार्जशीटकर्ता
7.	मोहर सिंह	पी.डब्ल्यू.-7	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बाबत्

8.	रामनिवास	पी.डब्ल्यू.–8	अनुसंधान बाबत्
9.	नवरत्न	पी.डब्ल्यू.–9	चक्षुदर्शी साक्षी

4. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया हैः–

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	प्रदर्श संख्या
1.	लिखित रिपोर्ट	प्रदर्श पी–1
2.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श पी–2
3.	पुलिस बयान कमल	प्रदर्श पी–3
4.	नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल	प्रदर्श पी–4 व 4ए
5.	फर्द जब्ती एक मोटरसाईकिल संख्या आरजे07 एसवी 7249	प्रदर्श पी–5
6.	फर्द जब्ती एक मोटरसाईकिल संख्या आरजे10 एसएफ 9308	प्रदर्श पी–6
7.	पुलिस बयान जयप्रकाश	प्रदर्श पी–7
8.	पुलिस बयान नानुराम	प्रदर्श पी–8
9.	चोट प्रतिवेदन आहत जयप्रकाश	प्रदर्श पी–9
10.	चोट प्रतिवेदन नानूराम	प्रदर्श पी–10
11.	बाद एक्स–रे आहत जयप्रकाश का चोट प्रतिवेदन	प्रदर्श पी–11
12.	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट वाहन संख्या आरजे07 एसवी 7249	प्रदर्श पी–12
13.	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट वाहन संख्या आरजे10 एसएफ 9308	प्रदर्श पी–13
14.	आरोप पत्र	प्रदर्श पी–14
15.	नोटिस अंतर्गत धारा 133 मोटर यान अधिनियम	प्रदर्श पी–15
16.	पुलिस बयान नोरतन	प्रदर्श पी–16

5. अभियुक्त की परीक्षा अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत की गयी एवं अभियुक्त के विरुद्ध आई साक्ष्य का स्पष्टिकरण लिया गया तो अभियुक्त ने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत कहते हुये कथन किये हैं कि, 'वह निर्दोष है, उसके द्वारा

दुर्घटना जैसी कोई घटना कारित नहीं की गई थी, परिवादी पक्ष द्वारा क्लेम राशि प्राप्त करने के लिए यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है।' अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

6. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाह के बयानों व प्रदर्शित दस्तावेजात से अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर समुचित दंड से दंडित किया जावे।

इसके विपरीत, उक्त तर्कों का खण्डन करते हुए न्यायालय के समक्ष विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने यह तर्क रखा है कि अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गई है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। पत्रावली पर पेश कर परीक्षित करवाये गये आहत, परिवादी व चश्मदीद गवाह न्यायलाय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए है, जिनके द्वारा अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त की पहचान के तथ्य को न्यायालय के समक्ष साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अभियोजन पक्ष अपना मामला संपुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अंत में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

7. बहस अंतिम उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी गई, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया, संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है कि:–

(क) आया अभियुक्त पप्पुराम ने दिनांक 07.02.2016 को वक्त करीब 02.30 पी.एम. पर कस्बा सरदाशहर जिला चूरू स्थित मुख्य बाजार में सड़क आम/लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे07 एसवी 7249 को उपेक्षा व उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन संकटापित करते हुए सड़क पर साईड में अपनी मोटरसाईकिल पर बैठे परिवादी के भाई जयप्रकाश के टक्कर मारकर उसके शरीर पर साधारण व गंभीर उपहतियां कारित की?

(ख) यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा ?

 Authenticated Docuement

8. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाहान को पेश कर परीक्षित कराया तथा प्रदर्श पी–1 से प्रदर्श पी–16 तक दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कराये गये साक्षीगण में गवाह **पी.डब्ल्यू.–1 कमल कुमार** ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि बयान देने की तारीख से करीब दो साल पहले की बात है। मैं लक्ष्मीनारायण नोरत्न सोनी के पास खड़े खड़े बात कर रहे थे। तभी जयप्रकाश एक मोटरसाईकिल पर बैठा था तभी जयप्रकाश के एक मोटरसाईकिल वाले ने टक्कर मारी जिससे उसके काफी चोटे लगी। टक्कर मारने वाले मोटरसाईकिल के नम्बर व चालक का नाम मुझे पता नहीं है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि प्रदर्श पी–1 का हिस्सा सी से ही मेरा लिखा हुआ नहीं है। पुलिस बयान प्रदर्श पी–3 है का हिस्सा सी से डी मेरा दिया हुआ नहीं है। यह सही है कि अब मुलजिम से राजीनामा हो गया है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि प्रदर्श पी–5 व प्रदर्श पी–6 पर भी पुलिस ने मेरे सादे कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। मैं नहीं बता सकता कि दुर्घटना कारित किसकी गलती से हुयी थी। दुर्घटना करने वाले वाहन के नम्बर व चालक का नाम मुझे मालूम नहीं है।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–2 जयप्रकाश** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि बयान देने की तारीख से करीब दो साल पहले की बात है। मैं गिरधारी पनवाडी की दुकान के पास एक मोटरसाईकिल के पास बैठा था। मैं जिस मोटरसाईकिल पर बैठा था उसके नम्बर आरजे10 एसएफ 9308 थे, जो मेरे स्वयं की थी। मेरे पास ही कमल कुमार सोनी व नोरत्न तथा लक्ष्मीनारायण खडे थे। इतने में ही मुझे एक मोटरसाईकिल ने टक्कर मारी जिससे मुझे काफी चोटे लगी। जिस मोटरसाईकिल ने मुझे टक्कर मारी थी उसके नम्बर व चालक का नाम मुझे पता नहीं है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि पुलिस बयान प्रदर्श पी–7 का हिस्सा ए सी बी मेरा दिया हुआ नहीं है। यह सही है कि अब हमारा राजीनामा हो गया हैं।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–3 नानूराम** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि बयान देने की तारीख से करीब तीन साल पहले की बात है। मैं व भागूराम मोटरसाईकिल

पर आ रहे थे। सुनारो का लड़का आया और मेरे मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी। मैं पप्पुराम व मोटरसाईकिल चलाने वाले को नहीं जानता हूं। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि पुलिस बयान प्रदर्श पी–8 का हिस्सा ए से बी मैंने नही दिया हुआ है। यह कहना गलत है कि मैं जिस मोटरसाईकिल पर सवार था उस मोटरसाईकिल के नम्बर आरजे07 एसवी 7249 हो। यह सही है कि अब मुलजिम से राजीनामा हो चुका है।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–4 डॉ. राजेश गुप्ता** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि दिनांक 07.02.2016 को राजकीय चिकित्सालय सरदारशहर में एमजे के पद पर कार्यरत था। उस रोज थाना सरदारशहर की तहरीर पर मजरूब जयप्रकाश के शरीर पर आई चोटो का मुआयना किया जो इस प्रकार है– 1. दाए पैर की नली पर क्लीनिकल फेक्चर चोट को एक्स–रे राय के लिए भेजा गया व कुंदाला कारित थी। चोट की अवधि 6 घंटे के भीतर की थी। आईआर प्रदर्श पी–9 है जिस पर ए से बी मजरूब का पहचान चिहन व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। उसी रोज मजरूब नानूराम के शरीर पर आई चोटो का मुआयना किया जो इस प्रकार है– 1. कुचला हुआ घाव 2 गुणा 0.5 सेमी बाए पैर के पंजे पर। 2. खरोच 2 गुणा 1 सेमी माथे पर दोनों चोटें साधारण प्रकृति की व कुंदाला कारित थी। चोटो की अवधि 6 घंटे के भीतर की थी। आईआर प्रदर्श पी–10 है जिस पर ए से बी मजरूब का पहचान चिहन व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। बाद एक्स–रे राय मजरूब जयप्रकाश की चोट संख्या 1 गंभीर प्रकृति की पाई गई। जो प्रदर्श पी–11 पर अंकित है। जिस पर ए से बी मेरी राय व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–5 किशोर सिंह** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि दिनांक 19.02.2016 को मै पुलिस थाना सरदारशहर मे चालक एफसी के पद पर कार्यरत था। उस रोज एसएचओ पीएस सरदारशहर की तहरीर पर मैंने एफआईआर नंबर 61/2016 पीएस सरदारशहर मैं जब्तशुदा मोटरसाईकल आरजे07 एसवी 7249 का मैकेनिकल मुआयन कर एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी–12 तैयार की थी जिस पर ए से बी मेरी रिपोर्ट होकर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मुताबिक रिपोर्ट मोटरसाईकल की हैडलाईट वाईजर आगे का मडगार्ड, दाए साईड का साईड ग्लास, फुट गार्ड टूटे हुए थे व मोटरसाईकल का हैडल आगे की तरफ मोडा हुआ था। उसी रोज एसएचओ पीएस

Authenticated Docuement

सरदारशहर की तहरीर पर मैंने एफआईआर नंबर 61/2016 पीएस सरदारशहर मै जब्तशुदा मोटरसाईकल आरजे 10 एसएफ 9308 का मैकेनिकल मुआयन कर एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 तैयार की थी जिस पर ए से बी मेरी रिपोर्ट होकर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मुताबिक रिपोर्ट मोटरसाईकल की दाए साईड का साईड ग्लास टूटा हुआ था, वाईजर पर रगडक लगी हुई थी। आगे का ब्रेक लिवर दाए साईड का फुट रेस्ट व बैटरी कवर टूटी हुई थी व नंबर प्लेट मुडी हुई थी। व यूटीलिटी बॉक्स का ढक्क्न टूटा हुआ था।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–6 ओमप्रकाश** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि दिनांक 26.02.2016 को मैं पुलिस थाना सरदारशहर में एसएचओ के पद पर कार्यरत था उस रोज मेरे समक्ष एफआईआर नंबर 61/2016 पीएस सरदारशहर की पत्रावली बाद अनुसंधान पेश हुई जिस पर मैंने अभियुक्तगण पप्पूराम के विरूद्ध धारा 279,337,338 में आरोप पत्र प्रदर्श पी–14 न्यायालय के समक्ष पेश किया था। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–7 मोहर सिंह** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि दिनांक 08.02.2016 को मैं पीएस सरदारशहर में एएसआई के पद पर कार्यरत था व प्रभारी थानाधिकारी भी था। उस रोज मुस्तगीस कमल कुमार ने मुकदमा दर्ज करने आवेदन प्रदर्श पी–1 मेरे समक्ष पेश किया जिस पर एफआईआर संख्या 61/2016 दर्ज कर अनुसंधान रामनिवास एफसी को सुपुर्द किया। प्रदर्श पी–1 पर ई से एफ मुकदमा दर्ज करने का पृष्ठांकन है व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 पर ए से बी मुस्तगीस कमल व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–8 रामनिवास** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि दिनांक 08.02.2016 को मैं पीएस सरदारशहर में एचसी के पद पर कार्यरत था एफआईआर संख्या 61/2016 अनुसंधान हेतु मुझे प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान घटनास्थल पहुंचकर नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 बनाया जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ मोतबीरान व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। हालात प्रदर्श पी–4ए पर है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मजरूबान जयप्रकाश व नानूराम के चोट प्रतिवेदन शामिल किए। दुर्घटना में संलिप्त दोनो मोटरसाइकिलों को जरिए फर्द प्रदर्श पी–5 व 6 जप्त किया जिस

पर ए से बी, सी से डी मोतबीरान ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। दोनो वाहनों के कागजात शामिल किए। दुर्घटनाकारित करने वाली मोटरसाइकिल के मालिक नानूराम को नोटिस धारा 133 एम वी एक्ट प्रदर्श पी–15 दिया जिस पर ए से बी नोटिस का जवाब नानूराम ने लिखकर दिया जिस पर सी से डी नानूराम के व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। दोनो वाहनों का मैकेनिकल मुआयना कराया व रिपोर्ट प्रदर्श पी–12 व 13 शामिल पत्रावली कि जिस पर ई से एफ शामिल पत्रावली करने के मेरे हस्ताक्षर है। मजरूब के एक्स–रे शिामल किए। गवाह कमल कुमार, लक्ष्मीनारायण, नानूराम, जयप्रकाश, नौरतन के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। बाद तफतीश मुलजिम पप्पुराम के विरूद्ध जुर्म धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं प्रमाणित मानकर पत्रावली एसएचओ ओमप्रकाश गोदारा के सुपुर्द कर दी। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि यह कहना सही है कि मेरे द्वारा मुलजिम की शिनाख्तगी बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। यह कहना सही है कि वाहन आरोपी पप्पुराम के नाम से दर्ज नहीं है। यह कहना सही है कि पप्पुराम को मौके पर देखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा पप्पुराम की कोई तस्दीक नहीं की थी।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–9 नवरत्न** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि मैंने जयप्रकाश व नानूराम का एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किये हैं कि पुलिस बयान प्रदर्श पी–16 का हिस्सा ए से बी ऐसा मैंने नहीं लिखवाया। यह सारी बाते असत्य है। मैं जयप्रकाश व नानूराम को जानता हूं, इनका एक्सीडेण्ट तो हुआ था पर मेरे सामने नहीं हुआ। कहां पर व किस वाहन से हुआ मुझे नहीं पता, ना ही वाहन के नंबर ध्यान में है मेरे। यह कहना सही है कि दोनों पक्षों का राजीनामा हो गया है।

9. विचारणीय प्रश्न के संबंध में पत्रावली पर आई समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी कमल कुमार की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के आधार पर चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 कायम की गई थी। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा अपने लिखित रिपोर्ट में वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे07 एसवी 7249 के अज्ञात चालक द्वारा घटना कारित किए जाने का उल्लेख किया गया है।

इस प्रकार जहां हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पप्पुराम के विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई थी, वहां अभियोजन पक्ष को सर्वप्रथम न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की पहचान को साबित करते हुए, यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करना था कि वरवक्त घटना तथाकथित वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे07 एसवी 7249 का संचालन अभियुक्त पप्पुराम द्वारा ही किया जा रहा था। इस संबंध में अभियुक्त पप्पुराम को हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से जोड़ने वाली जो अहम कड़ी है, वह धारा 133 मोटर यान अधिनियम का नोटिस प्रदर्श पी–15 है। उक्त नोटिस प्रदर्श पी–15 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त नोटिस नानूराम पुत्र भागीरथ को दिया गया था, जिसके द्वारा अपने जवाब में वरवक्त दुर्घटना मोटरसाईकिल अभियुक्त पप्पुराम द्वारा संचालित किया जाना बताया गया है। पत्रावली पर तथाकथित नानुराम को बतौर पी.डब्ल्यू.–3 पेश कर परीक्षित करवाया गया है, उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जो स्वयं को आहत होना बताते हुए पप्पुराम व मोटरसाईकिल चलाने वाले को नहीं जानने बाबत् स्पष्ट रूप से कथन करता है। यहां तक कि उक्त गवाह द्वारा ना तो अपनी मुख्य परीक्षा में अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसे नोटिस प्रदर्श पी–15 दिये जाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई कथन किया गया है तथा ना ही दौराने प्रतिपरीक्षण विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त गवाह से इस आशय का कोई प्रतिपरीक्षण अथवा प्रश्न किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त पप्पुराम द्वारा ही तथाकथित वाहन को संचालित कर दुर्घटना कारित की गई हो, इस तथ्य को साबित करने हेतु उक्त गवाह की साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण थी, परंतु अभियोजन पक्ष नोटिस प्रदर्श पी–13 में वर्णित तथ्यों को न्यायालय के समक्ष संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है तथा जिस व्यक्ति को तथाकथित नोटिस दिया गया था, उस गवाह पी.डब्ल्यू.–3 नानूराम के बयानात के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि, उक्त गवाह द्वारा अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य में अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से जोड़ने वाला कोई कथन नहीं किया है। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से अभियुक्त पप्पुराम की पहचान व उसका घटना में लिप्त होना प्रमाणित नहीं हो पाया है। इसके अलावा, अभियुक्त की पहचान के संबंध में स्वयं अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.–8 रामनिवास दौराने प्रतिपरीक्षण उसके द्वारा मुलजिम की शिनाख्तगी बाबत् कोई कार्यवाही नहीं किये जाने, वाहन आरोपी पप्पुराम के नाम से दर्ज नहीं होने तथा पप्पुराम

Authenticated Docuement

को मौके पर देखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा पप्पुराम की कोई तस्दीक नहीं किये जाने बाबत् स्पष्ट रूप से कथन किये हैं। अतः स्वयं अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त की शिनाख्तगी व पहचान के संबंध में कोई कथन नहीं किये है तथा इस तथ्य को न्यायालय के समक्ष संदेह परे प्रमाणित नहीं किया गया है कि किन आधारों पर अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में लिप्त माना गया।

10. पत्रावली पर लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि समस्त घटना जयप्रकाश के साथ घटित हुई थी तथा वरवक्त घटना आहत जयप्रकाश के पास परिवादी कमल कुमार व दो अन्य व्यक्ति लक्ष्मीनारायण, नोरतन मौजूद थे। इस प्रकार जयप्रकाश, स्वयं आहत होने के आधार पर एवं परिवादी कमल कुमार व दो अन्य लक्ष्मीनारायण, नोरतन घटना के चश्मदीद गवाहान होने के आधार पर प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाहान प्रतीत होते है। सर्वप्रथम, यहां यह उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर महत्वपूर्ण गवाह लक्ष्मीनारायण की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं हो पाई है। उक्त गवाह की तलबी सुनिश्चित किये जाने के प्रत्येक सार्थक प्रयास किये जाने के पश्चात् तथा उक्त गवाह को प्रकरण की सूचना होने के बावजूद भी, उसके द्वारा न्यायालय में उपस्थिति दर्ज नहीं करवाने पर, न्यायालय द्वारा उक्त गवाह की तलबी बंद की जाकर, अभियोजन पक्ष को उक्त गवाह को बयान मुलजिम से पूर्व अपने स्तर पर पेश कर परीक्षित करवाने बाबत् अवसर प्रदान किया गया था, किंतु उसके बावजूद भी उक्त गवाह की साक्ष्य पत्रावली पर लेखबद्ध नहीं करवाई गई है। उक्त महत्वपूर्ण गवाह की साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष के विरुद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (छ) के तहत यह उपधारणा की जाएगी कि, वह साक्ष्य जो पेश किए जा सकते हैं और पेश नहीं किए गए है, पेश किए जाते तो अभियोजन पक्ष के प्रतिकूल होते अर्थात् यदि अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त गवाह को पेश किया जाता तो उसकी साक्ष्य अभियोजन पक्ष के प्रतिकूल होती।

इसके अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा शेष महत्वपूर्ण गवाहान परिवादी पी.डब्ल्यू.–1 कमल कुमार, आहत पी.डब्ल्यू.–2 जयप्रकाश व चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यू.–9 नवरत्न को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया है, जो कि उक्त तीनों ही गवाहान न्यायालय के समक्ष पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुए है। परिवादी पी.डब्ल्यू.–1 कमल कुमार के बयानात के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त

गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल के नंबर व चालक का नाम पता होने के तथ्य से स्पष्टतया इनकारी की गई है, जिसकी पुष्टि उक्त गवाह विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान बखूबी करते हुए यह कथन करता है कि, वह नहीं बता सकता कि दुर्घटना कारित किसकी गलती से हुई एवं दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर व चालक का नाम उसे मालूम नहीं है। इसके अलावा उक्त गवाह दौराने प्रतिपरीक्षण स्वयं के पुलिस बयान प्रदर्श पी–3 व स्वयं द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 का हिस्सा सी से डी उसके द्वारा नहीं लिखवाये जाने व अभियुक्त से राजीनामा हो जाने बाबत् भी स्पष्ट रूप से कथन करके आ रहा है। इस प्रकार प्रकरण में स्वयं परिवादी द्वारा अपनी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में वर्णित तथ्यों की पुष्टि नहीं की गई है, जो प्रकरण संस्थित किये जाने के प्रारंभिक एवं महत्वपूर्ण आधार को ही संदेह के घेरे में डाल देता है। इसी प्रकार, आहत पी.डब्ल्यू.–2 जयप्रकाश के द्वारा परिवादी कमल कुमार के कथनों की पुष्टि करते हुए केवल मात्र उसे किसी मोटरसाईकिल द्वारा टक्कर मार देने बाबत् कथन किये हैं तथा मोटरसाईकिल के नंबर व चालक के संबंध में ज्ञान होने के तथ्य से इनकारी की है। उक्त गवाह दौराने प्रतिपरीक्षण अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–7 का हिस्सा ए से बी उसके द्वारा नहीं लिखवाये जाने बाबत् कथन करते हुए अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के तथ्य की पुष्टि करता है। इस प्रकार स्वयं आहत द्वारा भी अभियुक्त पप्पुराम की पहचान के संबंध में न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार के कोई विशिष्ट कथन नहीं किये है। इसी क्रम में चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यू.–9 नवरत्न के बयानात के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में एक्सीडेंट उसके सामने होने के तथ्य से ही पूर्णतया इनकारी करके आ रहा है तथा दौराने प्रतिपरीक्षण अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों की पुष्टि करते हुए एक्सीडेंट उसके सामने नहीं होने एवं कहां पर, किस वाहन से एक्सीडेंट हुआ, उसके नंबर क्या थे, इस संबंध में उसे पता नहीं होने बाबत् स्पष्ट कथन किये हैं। इस प्रकार जिस व्यक्ति को अभियोजन कहानी के अनुसार चश्मदीद बताते हुए परीक्षित करवाया गया है, स्वयं उस गवाह द्वारा न्यायालय के समक्ष घटना का चश्मदीद होने के तथ्य से इनकारी की है, जो कि सम्पूर्ण अभियोजन कहानी पर संदेह उत्पन्न कराता है। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि घटना के उपरोक्त तीनों महत्वपूर्ण गवाहान द्वारा अभियुक्त पप्पुराम के विरुद्ध इस आशय का कोई कथन

नहीं किया है, जिसके आधार पर अभियुक्त को घटना में लिप्त मानकर आरोपित अपराधों से जोड़ा जा सके।

इसके अतिरिक्त, पत्रावली पर पेश कर परीक्षित करवाये गये अन्य गवाहान केवल मात्र औपचारिक साक्षीगण है। जहां घटना के महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं हुई है तथा अन्य चक्षुदर्शी साक्षी, आहत व परिवादी तीनों ही पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिनकी से यह तथ्य प्रमाणित नहीं हो पाया है कि वरवक्त दुर्घटना तथाकथित वाहन मोटरसाईकिल को अभियुक्त पप्पुराम द्वारा ही संचालित किया जाकर दुर्घटना कारित की गई हो, वहां केवल मात्र औपचारिक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार की दोषसिद्धी कायम नहीं की जा सकती है।

11. फलतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर न्यायालय के विनम्र मत में पत्रावली पर ऐसी कोई सारवान साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि "अभियुक्त पप्पुराम ने दिनांक 07.02.2016 को वक्त करीब 02.30 पी.एम. पर कस्बा सरदाशहर जिला चूरू स्थित मुख्य बाजार में सड़क आम/लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे07 एसवी 7249 को उपेक्षा व उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन संकटापित करते हुए सड़क पर साईड में अपनी मोटरसाईकिल पर बैठे परिवादी के भाई जयप्रकाश के टक्कर मारकर उसके शरीर पर साधारण व गंभीर उपहतियां कारित की।" इस प्रकार अभियुक्त पप्पुराम को अरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– आदेश –

12. अतः **अभियुक्त पप्पुराम पुत्र गोरधनराम, निवासी बेजासर, पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।** अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

हस्तगत मामले में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे07 एसवी 7249 को प्रार्थी नानुराम को एवं जब्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे10

एसएफ 9308 को प्रार्थी दिनेश कुमार को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर दिया गया था, जो सुपुर्ददार के पास रहे तथा सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः ही निरस्त समझे जावे।

अपील की अपेक्षा के अध्याधीन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(क) के अंतर्गत अभियुक्त, माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु छः माह की अवधि के लिए राशि 10 हजार रुपए का व्यक्तिगत बंध–पत्र व इसी राशि की एक प्रतिभू इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

(निधि बेनीवाल, RJS)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर,
जिला चूरू (राज.)

13. निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकन सुनाया गया।

(निधि बेनीवाल, RJS)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर,
जिला चूरू (राज.)

Digitally signed by
SURESH UPADHYAY
Location: CJ & JM
Court, Sardarshahar
Dist. Churu
Date: 2026.03.24
11:16:06 +0530

Authenticated Docuement